



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263887  
CG-DL-E-16062025-263887

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2623]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947

No. 2623]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

**का.आ. 2688(अ).**— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 'कोषाध्यक्ष धर्मार्थ बंदोबस्ती, हरियाणा' (पैन- AAALT1027E), हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण को उस निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) केवल राष्ट्रीय श्रमिक राहत कोष के लिए केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।

(ख) बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि 'कोषाध्यक्ष धर्मार्थ बंदोबस्ती, हरियाणा' -

(क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में लिस नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) खण्ड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 से संगत निर्धारण वर्षों: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 58/2025/फा.सं. 196/25/2015-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप-सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2025.

**S.O. 2688(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Treasurer Charitable Endowments, Haryana' (PAN: AAALT1027E), an authority constituted by the Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to that body, namely: -

(a) Grants received from Central Government or State Government of Haryana for National Workers Relief Fund only.

(b) Interest on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Treasurer Charitable Endowments, Haryana'-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 relevant for the Financial Years 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019.

[Notification No. 58 /2025/F. No. 196/25/2015-ITA-1]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.